

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644,
policevaranasi

फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvn-s-up@nic.in,

Facebook-

संख्या: पीआरओ 57/2020

दिनांक: अक्टूबर, 10/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 10.10.2020 को थाना लंका में आयोजित समाधान दिवस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा जनता की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। जनसुनवाई से सम्बन्धित अभिलेखों को चेक किया गया।

बार-बार दिये गये निर्देशों के उपरान्त भी थाना लंका क्षेत्र में प्रकाश में आये भूमि विवादों के संबंध में विवाद लिस्ट/रजिस्टर न बनाये जाने व उक्त कार्य में कोई रुचि न लिये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गयी।

थाना दिवस रजिस्टर अपूर्ण होने, शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में लापरवाही बरतने, पूर्व में घटित आपराधिक घटनाओं के अनावरण व विवेचना निस्तारण अभियान में कोई रुचि न लेने के सम्बन्ध में आपत्ति प्रकट करते हुए प्रभारी निरीक्षक लंका को कार्यशैली में सुधार लाने के लिये कहा गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

आज दिनांक 10.10.2020 को थाना लोहता के उ0नि0 राजेश सिंह मय हमराह पुलिस बल के देखभाल, पेण्डिंग विवेचना में क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 239/2020 धारा 354क/504 आईपीसी व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त जहरुद्दीन पुत्र बदरुद्दीन निवासी महमूदपुर थाना लोहता वाराणसी को रोहनिया तिराहे पर सैलून के पास समय करीब 08.40 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना रोहनिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- जहरुद्दीन पुत्र बदरुद्दीन निवासी महमूदपुर थाना लोहता वाराणसी उम्र-24 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 राजेश सिंह व का0 शिवगोविन्द थाना लोहता, वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक 10-10-2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं जनपद में कानून/शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों पर पंजीकृत चोरी/लूट/नकबजनी/मादक पदार्थों की तस्करी/धोखाधड़ी व छेड़खानी के मुकदमों में वांछित सक्रिय अपराधियों की निगरानी हेतु हिस्ट्रीशीट की कार्यवाही की गयी, जिसका विवरण निम्नवत है-

1. तौकीर उर्फ मौलाना पुत्र मुनीर अंसारी निवासी ए-25/131 के-1 सलेमपुरा थाना आदमपुर, वाराणसी उम्र 29 वर्ष – अपराध (नशीले पदार्थों की तस्करी)
2. विजय यादव पुत्र स्व0 बच्चन यादव निवासी ए-3/151 मुकीमगंज (त्रिलोचन बाजार) थाना आदमपुर, वाराणसी उम्र 48 वर्ष- अपराध (धोखाधड़ी कर जमीन कब्जा करना तथा शराब की अवैध तस्करी आदि)
3. कलीमुद्दीन उर्फ बाबू पुत्र स्व0 इमामुद्दीन निवासी ए-26/76 हसनपुरा थाना आदमपुर वाराणसी उम्र 37 वर्ष- अपराध (नकबजनी व चोरी)
4. श्याम बाबू उर्फ गणेशू सोनकर पुत्र राजन उर्फ राजेन्द्र सोनकर निवासी एन-15/559 किरहिया खोजवा थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र-22 वर्ष अपराध (लूट व चोरी)
5. सोनू प्रजापति पुत्र काशीनाथ प्रजापति निवासी डी-54/100 जहूमण्डी थाना लक्सा वाराणसी उम्र- 27 वर्ष -अपराध (छेड़खानी)

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644,
policevaranasi

फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvn-s-up@nic.in,

Facebook-

संख्या: पीआरओ 58/2020

दिनांक: अक्टूबर, 10/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरूरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व राज्य सरकार द्वारा जारी गार्ड लाईन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 10-10-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 50 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *81 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1409 वाहनों का चालान, 17 वाहनों को सीज तथा 41 वाहनों से रु0-33,900/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 10-10-2020 को जनपद वाराणसी राज्य सरकार द्वारा जारी गार्ड लाईन से सम्बन्धित नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1914 व्यक्तियों से रु0-1,09,500/- जुर्माना* जमा कराया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644,
policevaranasi

फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvn-s-up@nic.in,

Facebook-

संख्या: पीआरओ 58/2020

दिनांक: अक्टूबर, 10/2020

प्रेस नोट

आज दिनांक 10-10-2020 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा जनपद में कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना सिगरा क्षेत्र में पैदल भ्रमण किया गया तथा सर्राफा बाजार में व्यवसायियों की सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मियों की चेकिंग/ ब्रीफिंग करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



